

केस संख्या :- /20

<p>२५/६/२५</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वसील वादी उप. इन्तजार विभाजित उत्तर पत्रावली दिनांक १/३/२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">३६ उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>
<p>१/३/२५</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वसील वादी उप. इन्तजार विभाजित उत्तर पत्रावली दिनांक ३/३/२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">३६ उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>
<p>१५/३/२५ अज्ञेयता Intestacy by M. S. K. S. (19-3-25)</p>	<p>पत्रावली आज वसील वादी द्वारा विज्ञे प्रा. पत्र पेश करने पर तलबगी गरी। वादी स्वयं उप. वसील वादी ने (विज्ञे प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भाषण से राजीनामा हो गया है व वादी कब रक को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः विज्ञे प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर रावा वादी विज्ञे (अज्ञेयता) किया जाता है। पुनः रावा पेश करने पर ५०००/- रूपए की दंड अदा करनी होगी। पत्रावली वादी तकरील वासील पत्र है।</p> <p style="text-align: right;">२१</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>